न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी—उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः—130/2018
प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

1. जसविन्द्र पुत्र मालासिह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. मोतीलाल
2. जगदीश कुमार } पुत्रगण सहीराम जाति मेघवाल
3. धनपतराम
4. मनोहरी पत्नी सहीराम
5. मांगीलाल
6. सुभाषचन्द्र } पुत्रगण भूपसिह
7. सुरेन्द्र कुमार
8. गुडडी देवी पत्नी भूपसिह

(क्रम 1 से 8) } निवासीगण ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

9. तरसेम सिह पुत्र श्री बलदेव सिह जाति मजबी निवासी नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज)
10. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

1. श्री राजेश बुडानिया अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्रीमती परमजीतकौर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 9
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया अप्रार्थी संख्या 10

निर्णय दिनांकः— 20.09.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए का पेश किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित है। प्रार्थी के नाम चक नं. 6 बीजीपी—ए के खाता संख्या 14/14 जमाबन्दी सम्वत 2036—72 में खाता कुलदीप वगैरा में 2.016 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें पं.नं. 206/141 मु.नं. 56 के किला नं. 2,3,8,9,12,13,18,19 कब्जा काश्त में उक्त खाता की जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता—पति सहीराम के नाम चक नं. 6 बीजीपी —ए के खाता संख्या 107/14 में 0.392 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त में पं.नं. 203/133 मु.नं. 56 के किला नं. 5/1 कब्जाकाश्त में है। अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 के पिता—पति के नाम इसी चक के खाता संख्या 60/54 में 0.379 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 के कब्जा काश्त में मु.नं. 56 के किला नं. 5/2 में 0.126 है. कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी संख्या 9 के नाम इसी चक के खाता संख्या 102/88 में 0.253 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड

हैं। अप्रार्थी सख्या 7 के कब्जा काश्त में पं.नं. 206/241 मु.नं. 56 के किला नं. 4 में है। उक्त खातो की जमाबंदिया संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के कब्जा काश्त चक नं. 6 बीजीपी–ए खाता संख्या 14/14 में अपने कब्जाकाश्त में आने जाने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। जिसमें प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के कब्जाकाश्त की भूमि चक 6 बीजीपी–ए के पं.न. 206/114 मु.नं. 56 के किला नं. 4 व 5 में किला नं. 6 व 7 से चिपता पूर्व पश्चिम दिशा मे लम्बा 10 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। इसकी एवज में कृषि भूमि या बाजार मूल्य जो भी उचित समझे अप्रार्थीगण को देने के एवज में कृषि भूमि या बाजार मूल्य जो भी उचित समझे अप्रार्थीगण को देने के लिए तैयार व तत्पर है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हैं इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि चक 6 बीजीपी–ए के पं.न. 206/114 मु.नं. 56 के किला नं. 4 व 5 में 0.015 है. प्र. में किला नं. 6 व 7 से चिपता रास्ता स्वीकृत करवा दो व इसकी एवज में इतनी भूमि या बाजार मूल्य जो भी उचित समझे प्रार्थी से ले लेवें तो अप्रार्थीगण पहले तो टालमटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह प्रार्थी की बात मानने से कतई इन्कार हो गये। बस यही प्रार्थना का कारण है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर चक 6 बीजीपी–ए के पं.न. 206/114 मु.नं. 56 के किला नं. 4 व 5 में 0.015 है. प्र. में किला नं. 6 व 7 से चिपता रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अपना राजीनामा प्रस्तुत किया। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ सहीराम पुत्र भूराराम एवं भूप सिह पुत्र तुलछाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है। तथा तहसीलदार राजस्व संगरिया से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 945 दिनांक 27.08.2018 द्वारा चक 6 बीजीपी–ए के पं.नं. 206/141 के मु.नं. 56 के किला नं. 4 व 5 में 0.015 है. प्रति 10 फुट चौड़ा अर्थात 314.10 कुल 3140 वर्गफुट किला नं. 6 व 7 से चिपता हुआ पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता डीएलसी का 2 गुणा 24200/– रूपये जमा कराने की शर्त पर रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के अधिवक्ता ने जवाब में अकित तथ्यो को दोराते हुए प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का विरोध न कर अपनी सहमति व्यक्ति की गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यो व परिस्थितियों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 6 बीजीपी–ए के पं.नं. 206/141 के मु.नं. 56 के किला नं. 4 व 5 में 0.015 है. प्रे. 10 फुट चौड़ा किला नं. 6 व 7 से चिपता पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एव इसके बदले में इसी चक के खाता संख्या 102/188 खाता सुखराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में अप्रार्थी संख्या 9 तरसेम सिह पुत्र बलदेव सिह का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाकर इस किला मे 0.014 है. भूमि मृतक

भूपसिह पुत्र तुलछाराम के नाम दर्ज करें तथा इसी चक के इसी मुरब्बा के किला नं. 5/2 मे से मृतक भूप सिह का 0.0064 है. हिस्सा कम कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के बहिब नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त मंजूरशुद्दा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जाकर मौका पर रास्ता चालु करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा प्रार्थना पत्र निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार राजस्व संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक20.09.2019को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर,संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

क्रमांक : रीडर/18/ दिनांक :–

तहसीलदार (राजस्व)
संगरिया

विषय :– प्रार्थना पत्र संख्या 130/2018 अनवान जसविन्द्र बनाम मोतीलाल वगैरा में पारित निर्णय की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र संख्या 130/2018 अनवान जसविन्द्र बनाम मोतीलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2019 की प्रति आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो नियमानुसार पालना कर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः निर्णय की प्रति

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.22 13:34:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: